फर्द अहकाम

कैलाश बनाम प्रभाति

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़

केस संख्या 96/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	18/11/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] के बाद पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब [illegible] दिनांक 10/1/25 को पेश हो।	
	10/1/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] के बाद पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब [illegible] दिनांक 21/3/25 को पेश हो।	
	24/3/25	पत्रावली पर दि० 21/3/25 को [illegible] के [illegible] पत्रावली पेश हुई आवेदकता सह [illegible] कॉलोनीज/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/4/25 पेश हो।	
	01/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण को बार-2 आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को अकमहादिरी एवं आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम हो तथा बादशर्ती दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला जयपुर